

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण (बेतिया)

पटना, दिनांक- 17.12.2016

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव विषय शीर्ष 13 02 में वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 288 दिनांक 18.12.2015.
महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव विषय शीर्ष 13 02 में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र आवंटित किया जाता है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि0 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2053000940001 है।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
- जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।
- मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

06/11/2016

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव

EV1

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण (बेतिया)

पटना, दिनांक- 2016

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव विषय शीर्ष 13 02 में वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 288 दिनांक 18.12.2015.

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड N2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव विषय शीर्ष 13 02 में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय के लिये कुल ₹ 10,00,000/- (दस लाख रुपये) मात्र आवंटित किया जाता है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 396 दिनांक 24.04.2015 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- इसकी मांग संख्या-33 एवं विपत्र कोड संख्या N2053000940001 है।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
- जिन पदों के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियमानुसार नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जायेगा।
- मासिक व्यय विवरणी एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जाय।

49

13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(केशव कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5 / बजट 1-08 / 2015 सा0-.....50 /

पटना, दिनांक- 17/11/2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/2016
सरकार के अपर सचिव
EVL